मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः07.05.2025

थाना विन्ध्याचल अन्तर्गत ऑटो सवार महिला से मोबाइल स्नैंचिंग की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल, अवैध तमंचा व कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद —

थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर पर दिनांकः06.05.2025 को वादिनी चन्दा देवी पत्नी श्रीधर गुप्ता निवासिनी फतहां थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा ऑटो में सवार होकर अपने ससुराल से मायके जाते समय ग्राम बिरोही-भटेवरा के पास मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा महिला का मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छिनकर भागने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0-139/2025 धारा 304(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष विन्ध्याचल को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी-सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः06.05.2025 को थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर कठवईया पुलिया के पास से मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त सत्यम मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी सेमरी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । जिसके पास से 01 अदद चोरी की विवो कम्पनी की मोबाइल, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस तथा मौके से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया । थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा मौके से बरामद मोटरसाइकिल वाहन संख्याःUP63AX3264 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह तथा उसका एक मित्र दोनों एकसाथ मिलकर इसी मोटरसाइकिल से ऑटो सवार महिला से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिये थे ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

सत्यम मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी सेमरी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-19 वर्ष ।

विवरण बरामदगी —

एक अदद विवो कम्पनी का चोरी का मोबाइल फोन ।

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस।
मोटरसाइकिल वाहन संख्याःUP63AX3264(घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-139/2025 धारा 304(2),317(2)बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

कठवईया पुलिया के पास से, दिनांकः06.05.2025 को समय 23:20 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक मोती सिंह यादव चौकी प्रभारी अष्टभुजा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर।
उप-निरीक्षक आनन्द शंकर सिंह चौकी प्रभारी गैपुरा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर।
मुख्य आरक्षी प्रदीप पाण्डेय, आरक्षी अरूण कुमार व देवेन्द्र यादव